

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (3) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- (5) समस्त आहरण वितरण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 16 दिसम्बर, 2022

विषय: डी0डी0ओ0 पोर्टल (upkosh.up.nic.in) पर राज्य कर्मचारियों के Employee Beneficiary Master File का रख-रखाव।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-ए-1-808/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 व शासनादेश संख्या-9/2017/ ए-1-568/दस-2017-10(26)/2017 दिनांक 12 जून, 2017 में दी गयी व्यवस्थानुसार डी0डी0ओ0 पोर्टल पर Employee Beneficiary Master File में कर्मिकों के विवरण शुद्ध रूप से रक्षित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित आहरण-वितरण अधिकारियों का है। कर्मिकों से सम्बन्धित सभी प्रकार के भुगतान यथा वेतन, जी0पी0एफ0 से अग्रिम, अन्य विभिन्न अग्रिम आदि के आहरण तथा सम्बन्धित कर्मिक के भुगतान की कार्यवाही आहरण वितरण अधिकारी द्वारा की जाती है। अतः यह सुनिश्चित करने का दायित्व पूर्णतया आहरण-वितरण अधिकारी का है कि भुगतान नियम-संगत है तथा सही बैंक खातों में जा रहें हैं।

2- शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा Employee Beneficiary Master File के updation में यथेष्ट सतर्कता नहीं बरती जा रही है जिसके कारण अनियमित एवं फर्जी भुगतान की सम्भावना बनी रहती है। अतः डी0डी0ओ0 पोर्टल पर Employee Beneficiary Master File के updation की प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाये जाने की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है।

3- उपरोक्त पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है-

- (i) डी0डी0ओ0 पोर्टल पर Employee Beneficiary Master File का updation आहरण वितरण अधिकारी द्वारा स्वयं किया जायेगा तथा किसी भी दशा में अपना लागिन आई0डी0 पासवर्ड, डी0एस0सी0 आदि अपने अधीनस्थ कर्मचारी को प्रयोगार्थ कदापि नहीं दिया जायेगा। Employee Beneficiary Master File के updation को आहरण वितरण अधिकारी द्वारा Approve किये जाने पर उक्त फाइल में कर्मिकों के बैंक खाते (जिसमें कर्मिक का वेतन, जी.पी.एफ. अग्रिम तथा अन्य देयकों का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है) सम्बन्धी विवरण फ्रीज (freeze) हो जायेंगे।

-2-

- (ii) डी0डी0ओ0 पोर्टल पर सरकारी कर्मचारियों की Employee Beneficiary Master File में कर्मचारियों के बैंक खाता संबंधी विवरण (फील्ड) में संशोधन करने की अनुमति आहरण वितरण अधिकारी को नहीं होगी।
 - (iii) अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि किसी कार्मिक का बैंक खाता नम्बर एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड में परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो जाये तो संबंधित कार्मिक के लिखित आवेदन पर उसके आहरण वितरण अधिकारी द्वारा पत्रावली पर कार्मिक का सम्पूर्ण विवरण जिसमें कार्मिक का बैंक खाता पास बुक की प्रति तथा KYC से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण यथा PAN, Adhaar, Address Proof आदि का उल्लेख आवश्यक रूप से होगा, अंकित करते हुये जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। इसके उपरान्त आहरण वितरण अधिकारी संबंधित कार्मिक का बैंक खाता संबंधी विवरण Updation हेतु अनफ्रीज (unfreeze) किये जाने हेतु मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी से अनुरोध करेगा। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कार्मिक के बैंक खाता संबंधी विवरण को update एवं Approve कर लेने पर कार्मिक का updated विवरण पुनः फ्रीज (freeze) हो जायेगा।
 - (iv) राज्य सरकार के समस्त कार्मिकों हेतु आयकर स्थायी खाता संख्या (PAN) प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। इससे NSDL की PAN Verification सर्विस के माध्यम से प्रत्येक कार्मिक का Verification किया जा सकेगा।
 - (v) राज्य सरकार की सेवा में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के बाद नियुक्त कार्मिकों का वेतन आहरण संबंधित कार्मिकों को PRAN पंजीकरण के बिना न किया जाये।
 - (vi) प्रदेश में वर्ष 2018 से लागू भारतीय रिजर्व बैंक की ई-कुबेर प्रणाली में NPCI के माध्यम से Account Verification सुविधा क्रियान्वित किये जाने हेतु निदेशक, कोषागार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से समन्वय स्थापित करते हुये उक्त कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।
- कृपया उपरोक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कराते हुये कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,
प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ.प्र. प्रयागराज को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उ.प्र. को उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने हेतु प्रेषित।

आज्ञा से
पूर्ण देव उपाध्याय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।